न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या : 13/2025(जी.सी.एम.एस.2025/183)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. कृष्ण सिंह पुत्र वरयाम सिंह जाति बावरी निवासी 59 एफ तहसील श्रीकरणपुर।		1. इकबाल सिंह पुत्र गुरदत सिंह जाति जटसिख निवासी 43 एफ बडिंगा तहसील श्रीकरणपुर। 2. परमजीत कौर पत्नी इकबाल सिंह जाति जटसिख निवासी 43 एफ बडिंगा तहसील श्रीकरणपुर। 3. गुरप्रीत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 43 एफ बडिंगा तहसील श्रीकरणपुर। 4. नवजोत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 43 एफ बडिंगा तहसील श्रीकरणपुर। 5. गुरमेल सिंह पुत्र जीवन सिंह जाति बावरी निवासी खरलां तहसील श्रीकरणपुर। 6. बलवन्त सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति बावरी निवासी खरलां तहसील श्रीकरणपुर। 7. जगदीश सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति बावरी निवासी खरलां तहसील श्रीकरणपुर। 8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर। 9. निरजंन सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति मजहबी सिख निवासी खरलां तहसील श्रीकरणपुर। 10. प्रेमी पत्नी सुन्तर राम जाति मेघवाल निवासी 43 एफ बडिंगा तहसील श्रीकरणपुर। 11. पाल सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति मजहबी सिख निवासी खरलां तहसील श्रीकरणपुर। 12. विक्रम राम पुत्र उतमा राम जाति मेघवाल निवासी 43 एफ बडिंगा तहसील श्रीकरणपुर। 13. मनजीत कौर पुत्री भगवान सिंह जाति जटसिख निवासी 43 एफ बडिंगा तहसील श्रीकरणपुर। 14. कुलविन्द्र सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति जटसिख निवासी 43 एफ बडिंगा तहसील श्रीकरणपुर। 15. गुरजीत सिंह पुत्र फतेह सिंह जाति जटसिख निवासी 43 एफ बडिंगा तहसील श्रीकरणपुर। 16. परमजीत कौर पुत्री भगवान सिंह जाति जटसिख निवासी 43 एफ बडिंगा तहसील श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:–13.05.2025

उपस्थितः1.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 5, 6

3.श्री सुधीर कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 2, 15

––निर्णय–– **दिनांक : 03.09.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 1 एफ एफ, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 24/24 के मुरब्बा नम्बर 26 की कुल 4.731 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी कृष्ण सिंह के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। शेष 1/2 हिस्सा भूमि जंगीर सिंह पुत्र भाग सिंह के नाम दर्ज है। जंगीर सिंह के हिस्सा की भूमि भी वादी द्वारा जरिये ईकरारनामा खरीद की हुई है। इस प्रकार कुल 4.731 हैक्टेयर भूमि मुझ वादी के कब्जा काश्त में है। चक 1 एफ एफ के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 की उतरी दिशा में पक्की सडक स्थित है। उक्त सडक से होते हुए मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 5 में प्रवेश कर दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए किला नम्बर 6, 15, 16, 25 में से होते हुए मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 5 में प्रवेश कर उतरी बट के साथ-साथ होते हुए किला नम्बर 4, 3, 2, 1 में से होते हुए मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 21 के उतरी पश्चिमी कोने

उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

में से होते हुए मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 25 में प्रवेश करता है। उक्त वर्णित रास्ता डेढ-डेढ बिस्वा यानि 12 फीट मौका पर चालू है। आवेदकगण के हिस्सा व कब्जा की भूमि में आने-जाने के लिए यानि अपनी जोतो तक पंहचने के लिए कोई वैकल्पिक या विशिष्ट रूप से मार्ग विद्यमान नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक की पूर्वी बट के साथ-साथ व मुरब्ब नम्बर 30 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ व मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 21 के दक्षिणी-पश्चिमी कोने में से रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व अभिलेख में अंकन करवाना चाहता है। उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाना आत्यतिंक आवश्यक है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता हेतु प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थीगण से मांग की है। तो अप्रार्थीगण ऐसा करने से साफ इन्कार हो गए। यही वाद कारण है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर टी ए पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एफ एफ, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक की पूर्वी बट के साथ-साथ डेढ-डेढ बिस्वा भूमि व मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ डेढ-डेढ बिस्वा भूमि व मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 21 के दक्षिणी-पश्चिमी कोने में 0.0013 हैक्टेयर भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे और उक्त रास्ता का अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में करने हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को आदेश पारित किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। संशोधित शीर्षक सामिल मिसल रहे। अप्रार्थी संख्या 5, 6 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड उपस्थित आया। सहमति का जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 15 की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार शर्मा उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 3, 4, 7, 9 ता 14, 16 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 15 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार सही तथ्य इस प्रकार से है कि मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 5 में प्रवेश कर दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए किला नम्बर 6, 15, 16, 25 में मौका पर कोई रास्ता चालू नहीं है और ना ही आवेदकगण उक्त तथाकथित रास्ता से आवागमन करता है। मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 6, 15 में अप्रार्थीगण का कोठा बना हुआ है और कोठा के साथ पानी की डिग्गी बनी हुई है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त किलाजात में वर्तमान में मौका पर कोई चालू रास्ता नहीं है। प्रार्थी अपनी सुविधा के लिए उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई खारिज किया गया।

3. उक्त के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से क्रमांक/राजस्व/2025/542 दिनांक 23.05.2025 से मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक खरलां मय नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक खरलां व पटवारी हलका खरलां द्वारा चक 1 एफ एफ के मुरब्बा नम्बर 24, 25, 26, 30, 12 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया कि मौके पर प्रार्थीगण के द्वारा आराजी मुरब्बा नम्बर 26 तक पहुंचने के लिए मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक की पूर्वी बट के साथ-साथ डेढ-डेढ बिस्वा भूमि व मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ डेढ-डेढ बिस्वा भूमि व मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 21 के दक्षिणी-पश्चिमी कोने में 0.0013 हैक्टेयर भूमि में से रास्ते की मांग की गई है।

4. हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबधी प्रावधान निम्नानुसार हैः-" कृषको के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

करते हुए धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार- कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जाँच पश्चात वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किए गए प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।''

5. भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी राजस्व ग्राम 1 एफ एफ, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 24/24 के मुरब्बा नम्बर 26 की कुल 4.731 हैक्टेयर भूमि में से 1/2 हिस्से का अभिलिखित खातेदार है तथा पडोसी मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक की पूर्वी बट के साथ-साथ डेढ-डेढ बिस्वा भूमि व मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ डेढ-डेढ बिस्वा भूमि व मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 21 के दक्षिणी-पश्चिमी कोने में 0.0013 हैक्टेयर भूमि में से अपनी जोत तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। परन्तु अप्राथी द्वारा प्रस्तावित मार्ग के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 6, 15 की सरहद पर पक्का कोठा बना रखा है। इसी प्रकार मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 25, 24, 23, 22, 21 की दक्षिणी बट के साथ-साथ भी विकल्प निर्मित होता है। लेकिन मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 25 के प्रवेश स्थल पर ट्रांसफॉर्मर, मढी/छोटा मन्दिर बना हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य विकल्प मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 में अप्रार्थी द्वारा मौके पर घरेलू पक्के खाला का निर्माण किया हुआ है। जिसमें जगह-जगह नक्के बनाए हुए है। एक अन्य विकल्प मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक की पश्चिमी बट के साथ-साथ होते हुए, मुरब्बा नम्बर 31 के उतरी-पश्चिमी कोने में से होते हुए मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ चालू रास्ते से होते हुए, मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 21 के दक्षिणी-पश्चिमी कोने से होते हुए मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 25 में प्रवेश किया जा सकता है। परन्तु यह रास्ता अभिलिखित रास्ते से अत्यधिक दुरी पर है। लिहाजा प्रार्थी को अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 26 तक पंहुचने के लिए, मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 की उतरी बट के साथ-साथ 0.019-0.019 हैक्टेयर भूमि व मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 5 की पूर्वी बट के साथ-साथ 0.019 हैक्टेयर भूमि में से रास्ता व्यावहारिक है। प्रार्थी को रास्ता की अत्यातिंक आवश्यकता है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थी की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी आशिंक स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से आशिंक स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एफ एफ, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 की उतरी बट के साथ-साथ 0.019-0.019 हैक्टेयर भूमि व मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 5 की पूर्वी बट के साथ-साथ 0.019 हैक्टेयर भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1, मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 5 की कुल 0.114 हैक्टेयर भूमि की प्रचलित डी.एल.सी.दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थी से वसूलकर हितबद्ध अप्रार्थीगण को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्ध अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्ध अप्रार्थी इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने

सहायक कलेक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{श्योराम आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 03.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष न0:– 01501226005

ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2025/675

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

दिनांक :- 08**.09.2025**

विषयः- प्रकरण संख्या 13/2025 अनवान कृष्ण सिंह बनाम ईकबाल सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 03.09.2025 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 03.09.2025 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से आशिंक स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एफ एफ, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 की उतरी बट के साथ-साथ 0.019-0.019 हैक्टेयर भूमि व मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 5 की पूर्वी बट के साथ-साथ 0.019 हैक्टेयर भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1, मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 5 की कुल 0.114 हैक्टेयर भूमि की प्रचलित डी.एल.सी.दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थी से वसूलकर हितबद्व अप्रार्थीगण को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्व अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्व अप्रार्थी इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

{**श्योराम** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर